जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

136/15

A3

अपील सूचना अधिकार संख्या 126/2015 अनवानी श्री योगेश टेकवाणी, 13 मुकर्जीनगर श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

17.02.2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री योगेश कुमार टेकवाणी उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री योगेश कुमार टेकवाणी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 17.07.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से से निम्न सूचना चाही थीः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Under the RTI Act 2005 please provide following informations.

(1) Total Number of Kerosene Oil permits issued by DSO Office Sriganganagar from the period 01/01/2005 to till today.
(2) In refrence to point number 1 name of each person to whom the permit is issued, diary number of ther permit, quantity of kerosene oil sanctioned on each permit and duration for which permit was issued by DSO Office Sriganganagar from ther period 01/01/2005 to till today.
(3) In refrence to point no. 1 give ceritified copy of entry registered maintained by DSO office in which the permit issued is recorded by DSO office Sriganganagar from the period 01/01/2005 to till today.
(4) Name of the officer issuing the permit, designation & present posting.
(5) Name and address of Kerosene oil PDS shops designated by DSO office to provide Kerosene oil to the permits issued by DSOI office Sriganganagar from the period 01/01/2005 to till today.
(6) Quantity of extra Kerosene oil allotted by Government of Rajasthan to the Sriganganagar district every month on regular basis from the period 01/01/2005 to till today.
(7) Quantity of Extra Kerosene oil Quota allotted by Government of Rajasthan to the Sriganganagar district in addition to the kerosene oil allotted every month allotted on regular basis.
(8) Details of allotment, name of PDS shop keepers and distributors whom the extra kerosene oil mentioned point 7 was given for distribution in addition to the kerosene oil allotted every month allotted on regular basis. Name of officer doing the allotment with designation and present posting.

अपीलार्थी श्री योगेश कुमार टेकवाणी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 17.07.2015 से चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे शीघ्र उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र के सन्दर्भ में जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपना प्रतिवेदन संख्या 5063 दिनांक 15.09.2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा जिस प्रारूप में सूचना चाही है उस प्रारूप में सूचनांए उनके कार्यालय में संकलित नही होने व विस्तृत सूचनांए होने के कारण धारा 7(9) के तहत सूचनांए उपलब्ध करवाया जाना संभवत नही होने के कारण अपीलार्थी/आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर समयावधि में

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

126/15 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

A3/2

पत्रांक 4731 दिनांक 25.08.2015 से अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया था। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाई जावे।

जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 4731 दिनांक 25.08.2015 से अपीलार्थी को उसके सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र के संबंध में निम्नानुसार सूचित किया गया हैः—

> आप द्वारा चाही गई उक्त सूचनांए जिस प्रारूप में चाही है उस प्रारूप में कार्यालय में संकलित नही है साथ ही लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्यांओ का समाधान करना या काल्पिनक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। इस प्रकार खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना का अधिकार के तहत नही आता। सूचनांए एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अत आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध करवाया जाना वर्जित है। इस संबंध में आपको कोई उज्र हो तो आप प्रथम अपील श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के न्यायालय में 30 दिवस में कर सकते है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है और चाही गई सूचना प्रश्नात्मक नही होनी चाहिए। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 25.08.2015 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर